608-260
1F

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आषाढ़ 15, बुधवार, शाके 1933–जुलाई 6, 2011
Asadha 15, Wednesday, Saka 1933–July 6, 2011

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

लोक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर

पथकर अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 5, 2011

एस.ओ.62 :–यतः राजस्थान सडक विकास अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 5) की धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन शासन सचिव, विधी (विधायी प्रारूपण), विभाग (ग्रुप 2) के माध्यम से कार्य करते हुए राजस्थान के राज्यपाल की अधिसूचना सं. एफ. 2 (9) विधी/2/2002 दिनांक 28 अप्रेल, 2002 द्वारा राज्य सरकार ने राज्य के राजमार्ग सं 12 के 0.00 कि.मी. से 212.00 कि.मी. (जयपुर – भीलवाड़ा अनुभाग) के उपयोग के लिऐ फीस उदग्रहीत की है :

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अन्तरण (डि. नि. वि. प्र. अ.) के आधार पर राज्य के राज मार्ग सं 12 के 0.00 किमी से 212.00 किमी (जयपुर – भीलवाड़ा अनुभाग) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अनुभाग' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पूर्वोक्त अनुभाग के विकास के लिए राज्य सरकार ने मैसर्स भीलवाड़ा, जयपुर पथकर सडक (प्रा.) लिमिटेड , जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जयपुर (राजस्थान) में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के साथ करार किया है,

अतः अब फीस नियम अधिसूचना, 2009 के नियम 3 के साथ पठित राजस्थान सडक विकास अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम सं. 5) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य के राजमार्ग के उक्त अनुभाग के निर्माण, रख–रखाव, प्रबंधन और प्रचालन में अन्तवर्लित व्यय, विनिधान की गयी पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त वापसी, यातायात की मात्रा और राज्य सरकार और रियायतग्राही के मध्य उक्त करार की कालावधि को ध्यान में रखते हुए, इसके द्वारा अधिसूचित करती

है कि उक्त अनुभाग के उपयोग के लिए पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर यांत्रिक यानों से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को, उक्त नियमों और पूर्वोक्त करार के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए और के अनुसार, राज्य के राजमार्ग के उक्त अनुभाग के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से ही उक्त फीस का संग्रहण करने और उसे रखे जाने के लिए प्राधिकृत करती है।

इसके अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर, प्रत्येक ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए, शोध्य और संदेय होगी :-

क्र.सं.	पथकर प्लाजा की अवस्थिति (दूरी)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
		20/00-71/00
1.	20/00	71/00-124/00
2.	71/00	124/00-176/00
3.	124/00	176/00-212/00
4.	176/00	

[संख्या एफ. 7(211) बीओटी/पीपीपी/ जेपीआर-भील./09]

राज्यपाल के आदेश से,

कानचन्द बुनकर,
सहायक शासन सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

Public Works Department

TOLL NOTIFICATION

Jaipur, July 5, 2011

S.O.62.– Whereas, by the notification of the Governor of Rajasthan acting through the Secretary to the Government, Law (Legislative Drafting) Department, (Group –II) bearing No. F.2 (9) Vidhi /2/2002 dated the 28 April, 2002, under sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Road Development Act, 2002 (Act No. 5 of 2002), the State Government has levied fees on use of the section of State Highway No. 12 from K.m. 0.00 to K.m. 212.00 (Jaipur - Bhilwara Section);

And, Whereas, in pursuant to the provisions of section 5 of the said Act, the State Government has entered into an agreement with **M/S Bhilwara Jaipur Toll Road (P) Ltd**; having its

Registered office at Jaipur (Rajasthan) (hereinafter referred to as "Concessionaire") for development of the aforesaid section of the State Highway No. 12 from K.m. 0.00 to K.m. 212.00 (Jaipur - Bhilwara Section) (hereinafter referred to as the "said section") on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Road Development Act, 2002 (Act No. 5 of 2002), read with Rule 3 of the Fee Rules Notification, 2009, the State Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the state highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the State Government and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section, at the rates specified in the aforesaid rules and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation of the said section of state highway, subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the aforesaid agreement.

The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

S.No.	Location of Toll Plaza (Chainage)	Length (in km) for Which Fee is Payable
1	2	3
1.	20/00	20/00-71/00
2.	71/00	71/00-124/00
3.	124/00	124/00-176/00
4.	176/00	176/00-212/00

[F.No.-F-7 (211)/BOT/PPP/Jpr.-Bhl./09]

By Order of the Governor

Kan Chand Bunkar,

Assistant Secretary, PWD,

Rajasthan, Jaipur.

Government Central Press, Jaipur.